

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/परिपत्र/2011/690

दिनांक 6.7.11

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति
विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

-000-

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग के परिपत्र क्रमांक प013 (76) का/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14-04-2011, 13.05.11 व 17.05.11 तथा निदेशालय के पत्र क्रमांक 328 दिनांक 02.05.11, 363 दिनांक 10.05.11, 375 दिनांक 19.05.11 व 454 दिनांक 24.05.11 की ओर आकर्षित कर लेख है, कि आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर दिये हैं अथवा नहीं कृपया सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी द्वारा अभी तक निर्धारित प्रपत्र अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उनसे तुरंत प्राप्त कर तीन दिवस में व विभाग एवं निदेशालय को भिजवाये ताकि उन्हें सार्वजनिक किया जा सके।

इसे अति महत्वपूर्ण समझे, जिन अधिकारियों ने अभी तक आपको प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, उनकी सूची भिजवाये एवं उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत जावे।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- राजप/डीपीसी/एसीआर/परिपत्र/2011/690


दिनांक 6.7.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग, राज0 जयपुर।
2. निदेशक, आई0ई0सी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ।
3. निदेशक (प0क0)/एड्स/ई0एस0आई0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजा
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, राज0जय

कृ0

5. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज एवं नियंत्रक, सम्बद्ध चिकित्सालय समूह ।
6. औषधि नियंत्रक (प्रथम एवं द्वितीय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राज0जयपुर ।
7. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
9. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
10. प्रधानाचार्य, रा0 प0 क0 प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/अजमेर ।
11. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
- ✓ 13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई-मेल किये जाने हेतु ।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली ।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर ।